वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत
संख्याः 283/XVII(2)/2007-09(18)/2005

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग देहरादूनःदिनांक 16 अगस्त, 2007

विषयः वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक के अंतर्गत पूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों के पुनर्वास हेतु कौशल वृद्धि एवं रोजगारपरक प्रशिक्षण हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः– 136/XVII(2)/2007–09(18)/2005 दिनांक 08 मई, 2007 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक के अंतर्गत पूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों के पुनर्वास हेतु कौशल वृद्धि एवं रोजगारपरक प्रशिक्षण योजना के संचालन हेतु कुल रुपये 10,67,000/– (रुपये दस लाख सडसठ हजार मात्र) की धनराशि अधोवर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. **धनराशि व्यय करने से पूर्व गत वित्तीय वर्ष 2006–07 में स्वीकृत धनराशि का व्यय–विवरण शासन को उपलब्ध कराने के पश्चात् ही धनराशि व्यय की जायेगी।**
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिये कौशल वृद्धि प्रशिक्षण संबंधी योजनाओं हेतु ही किया जायेगा, किसी अन्य प्रशिक्षण योजनाओं में व्यय कदापि नहीं किया जायेगा।
3. अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।
4. उक्त धनराशि पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कौशल वृद्धि एवं रोजगारपरक प्रशिक्षण योजना के क्रियान्वयन/संचालन हेतु नियमानुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका बजट मैनुअल के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकरी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाएगा।
6. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिनके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

7. यह धनराशि इस शर्त के साथ दी जा रही है कि धनराशि का व्यय अनुमोदित परिव्यय की सीमा तक ही किया जाएगा। अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के अंतर्गत समय सरणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8. बी0एम0–13 पर संकलित मासिक सूचनाऐं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के लेखाशीर्षक 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, आयोजनागत, 200–अन्य कार्यक्रम, 03–सैनिक कल्याण, 11–पूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों के पुनर्वास हेतु कौशल वृद्धि एवं रोजगारपरक प्रशिक्षण के मानक मद 42–अन्य व्यय के नामे डाले जायेगा।

10. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:–277(P)/वि.अनु–3/2007 दिनांक 14 अगस्त, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी की जा रही है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 283(1)/XVII(2)/2007-09(18)/2005 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढवाल, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

160867002 Posn